

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या ..1764 / 2015जिला.....जोधपुर.....

उनवान – श्री वक्ताराम पुत्र मोडाराम निवासी कपूरिया तहसील ओसिया जोधपुर बनाम राजस्थान सरकार
जरिये उप पंजीयक ओसिया, जिला जोधपुर व अन्य।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05.04.2017	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री नत्थूराम, सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता के स्वयं के प्रार्थना पत्र पर विद्वान का निवेदन किया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई उपस्थित।</p> <p>निगरानीकर्ता ने वर्तमान में राजस्थान सरकार की अधिसूचना के तहत आरोपित ब्याज व शास्ति की छूट प्रदान की गई है। जिसके तहत निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रस्तुत निगरानी को विद्वान करने का निवेदन किया है जिसमें विभागीय पैरोकार को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी जरिये विद्वान खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति निगरानीकर्ता को भी जारी की जाये।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(<u>नत्थूराम</u>) सदस्य</p>	